

लोक सुनवाई का वृत्त।

मेसर्स महारानी सर्विसेज, प्रस्तावक: रवि शंकर सिंह, निवासी-न0 अच02, मौलानाचक, शेरघाटी, जिला-गया (बालू खनन परियोजना ब्लॉक: 49, गया ढाढ़र नदी बालू घाट-01, 02, 03 एवं 04, ग्राम-रेउल, गोविन्दपुर, जामुआवन, केनर पहरपुर, मिर्जापुर, पटोरी, ट्रेलर, अमीन, बरकैल और महुगन, अंचल-मुहर, वजीरगंज, मेसकाऊर और फतेहपुर, जिला-गया) का गया जिला अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 02.08.2023 को अपराह्न 04:30 बजे अंचल कार्यालय, मुहर, जिला-गया के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2377/2023, dated 04.05.2023 के आलोक में श्री अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता, (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्व द्वारा दिनांक 02.08.2023 को अपराह्न 04:30 बजे अंचल कार्यालय, मुहर, जिला-गया में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्व द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा द टाइम्स ऑफ इंडिया एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 20.06.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्व, गया द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0-एस. ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा बालू खनन परियोजना ब्लॉक: 49, गया ढाढ़र नदी बालू घाट-01, 02, 03 एवं 04, ग्राम-रेउल, गोविन्दपुर, जामुआवन, केनर पहरपुर, मिर्जापुर, पटोरी, ट्रेलर, अमीन, बरकैल और महुगन, अंचल-मुहर, वजीरगंज, मेसकाऊर और फतेहपुर, जिला-गया के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नितिश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री बिटु सिंह, पता: रिवला, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू का उठाव रात्री समय में होगा या नहीं; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू का उठाव रात्री समय में नहीं होगा केवल यह कार्य दिन में किया जायेगा। अगर रात्री में बालू का उठाव होता है तो इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन को किया जा सकता है। इसप्रकार श्री बिटु सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री रंजन कुमार, पता: बरकैल, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान पानी गिरने पर सड़क टूटने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान जो भी ग्रामीण सड़क टूटेगा, उसकी मरम्मत लेसी को करना है। इसप्रकार श्री रंजन कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

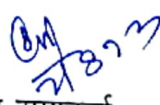
3.	श्री राजेश्वरी प्रसाद, पता: आनी, जिला: गया।	इनके द्वारा प्रदूषण की रोक-थाम से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण की रोक-थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगा:—बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस-पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धूलकण का कुप्रभाव न हो। जल प्रदूषण नियंत्रण की रोक-थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगा:—बालू खनन क्षेत्र में बालू की खुदाई 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की रोक-थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगा:—लेसी के द्वारा पुराने वाहनो का संचालन नही करने का निदेश दिया गया। इसप्रकार श्री राजेश्वरी प्रसाद को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
4.	श्री दिलीप यादव, उपप्रमुख, फतेहपुर जिला: गया।	इनके द्वारा धूल-कण की समस्या के साथ-साथ स्थानीय लोगो को रोजगार देने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। साथ ही बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से

		चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा। इसप्रकार श्री दिलीप कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
5.	श्री विरेन्द्र कुमार, पता: आमीन, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा इसप्रकार श्री विरेन्द्र कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे, घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

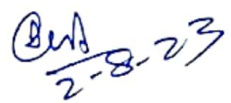
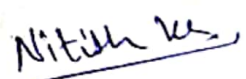
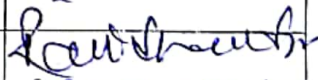
जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


 क्षेत्रीय पदाधिकारी
 बि.रा.प्र.नि.पर्वद,
 गया


 अपर समाहर्ता,
 गया

उपस्थिति सूची

मेसर्स महारानी सर्विसेज, प्रस्तावक: रवि शंकर सिंह, निवासी-न0 अच02, मौलानाचक, शेरघाटी, जिला-गया द्वारा गया ढाढ़र नदी बालू घाट-01, 02, 03, 04, ग्राम-रेउल, गोविन्दपुर, जामुआवन, केनर पहरपुर, मिर्जापुर, पटोरी, ट्रेलर, अमीन, बरकैल और महुगन, अंचल-मुहर, वजीरगंज, मेसकाऊर और फतेहपुर, जिला-गया का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 02.08.2023 को 02:00 बजे अपराह्न में अंचल कार्यालय, मुहर, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अजय कुमार	आपर धानखोला गंगा	
2.	महेश कुमार सिंह	अग्रिम पत्राधिकार वि० (१) प्र० जिला पंचायत, गंगा	
3.	निधि भारती	खनिज निष्कास पदा गंगा	
4.	नगेन्द्र कुमार	गंगा 08/3 (-	
5.	Nitish Kumar	Cognizance Research India Pvt. Ltd. Noida (Env. Consultant)	
6.	Law Shreeji	Maharaja Senn Ganga	 709159265/ 21/8/2023
7.	राजू कुमार	गंगा	700498624
8.	रवि कुमार 9934643360	गंगा	

9.	गणेश माल 9801279 251	तिलौरा	गणेश माल
10.	मानो, राम 7250910505	तिलौरा बजारीगंठ	मानो राम
11.	manish. purnam 9572444315	तिलौरा	manish. purnam
12.	साहेबुलाल खाण 800 2084 911	तिलौरा बजारीगंठ	श.सि.प्रदीप
13.	कन्हैया कुमार 823594289	पाला मालती	कन्हैया कुमार
14.	रामेश कुमार 7061752126	बिच्छा	Ramesh Kumar
15.	चंदन कुमार 7909030369	मालती	Chandon Singh
16.	रेडित राय 85 7896 9027	कपूर	Rohit Ray
17.	गगन कुमार 7870 342631	रिउमा	गगन कुमार
18.	शिवशंकर कुमार 9199648262	जमेपुरा	शिवशंकर कुमार
19.	प्रभात कुमार 9006199954	पुष्प पुष्प	Pramod Kumar

20.	Sunny-Kumar 6207430114	गाठ+पीठ डिआ/— धान अन्तर् जिला (गया)	Sunny
21.	अनिर्ण भाव्य 9546320853	गाँव जेहलो नौका, पंचभक्त गेहलो प्रख-भोहरा जिला गया	अनिर्ण भाव्य
22.	चौध बिह 6202783690	गाँव-बेला प/र-च नाना उन्ना जिला	चौध बिह
23.	मणि सिंह 7480003892	परा जालिनि पोस्ट परिपापुर प्रखंड भोहरा जील- (गया)	मणि सिंह
24.	रोहित कुमार 7061996121	ग्राम मालती पो हपिण्ड जिला गया पाना अटरी प्रखंड भोहरा	रोहित कुमार
25.	अमर राय 7644954493	ग्राम रामभक्त पो तुंगी भाना कौरांग जिला गया	अमर राय
26.	गौतम कुमार 6201436302	ग्राम-जमुआवाँ पो-तुंगी धाना व वजीरगंज जिला गया	गौतम कुमार
27.	मुकेश पासवान 9475329886	ग्राम-जमुआवाँ पो-तुंगी धाना व वजीरगंज-जिला गया	मुकेश पासवान
28.	रंजन कुमार 6201326237	ग्राम वरकल पो 943337 जिला गया	Ranjan Kumar
29.	9931262680 मि पालेय १६ 31/11/80	गाम आमिन पाना प/र-च	मि पालेय १६
30.	पिन्डू पासवान 8210926692	ग्राम वरकल पो 943337 गया	पिन्डू पासवान

31.	राजेश्वरी प्रसाद 9801260821	ग्राम - रूही, दुमक थाना - मनेष्टुल (गाम)	राजेश्वरी प्रसाद
32.	रवींद्र कुं 954628628	ग्राम - देवद्वार मनेष्टुल (गाम)	रवींद्र कुं
33.	राजेश्वरी प्रसाद 95105771978	मनेष्टुल कोमलुंगी थाना मनेष्टुल	राजेश्वरी प्रसाद
34.	मनीषा पांडे 9955896688	मनेष्टुल - मनेष्टुल (गाम)	मनीषा
35.	उमेश कुमार 8521558294	मनेष्टुल मनेष्टुल गाम	मनेष्टुल
36.	Sorle Kumar 9693 510431	कैलाश कौपूर गाम	Sorle Kumar
37.	अश्विनी कुमार 7870388950	कैलाश मनेष्टुल	Ashwini Kumar
38.	उपेंद्र कुमार 9973278859	मनेष्टुल	उपेंद्र कुमार
39.	Vivekanand 6201105355	ग्राम - रावतेश्वर थाना - मनेष्टुल (गाम)	Vivekanand
40.	अमर कुमार 6206045504	ग्राम - देवद्वार थाना - अमरेश्वर	अमर कुमार
41.	अमरेश्वर अमर पं. लाली तेरा 9801606327	ग्राम - पडितपुर लोहा पं. - अमरेश्वर मनेष्टुल कैलाश गाम	अमरेश्वर अमर

42.	શંકા પ્રભાત 9199803651	ગામ - આમીન વાગા ખાંદેપુર ગામ	શંકા પ્રભાત
43.	પ્રદીપ માધવ 9131412285	ગામ - કાલોદમ ખાંદેપુર ગામ	પ્રદીપ માધવ
44.	વૈચુ લોન 9973903351	ગામ - વાલોદ ખાંદેપુર ગામ	વૈચુ લોન
45.	પ્રમોદ કુમાર 9934462280	ગામ - આમીન ખાંદેપુર ગામ	પ્રમોદ કુમાર
46.	શરણિન્દ્ર કુમાર 9162393112	ગામ - આમીન ખાંદેપુર ગામ	શરણિન્દ્ર કુમાર
47.	બબલુ કુમાર 933394294	ગામ - મહુઆ ખાંદેપુર ગામ	Bablu Kumar
48.	ગોપાલ પ્રસાદ 7250691356	ગામ - વાલોદ ખાંદેપુર ગામ	Gopal Prasad
49.	Sujit Kumar 9939594334	ગામ - વાલોદ ખાંદેપુર ગામ	સુજીત કુમાર
50.	અશોક રાય 8340590550	ગામ - આમીન ખાંદેપુર ગામ	Ashok Rai
51.	ડાબલુ માધવ 9934432339	ગામ - મહુઆ ખાંદેપુર ગામ	Dabalu yablu
52.	જુરુ લિં 7352864919	ગામ - મહુઆ ખાંદેપુર ગામ	Jurur

(51)

दिनीप चाको
6201498263

अप्रमुख प्रमाण पत्र
214/

Di'lu'are
2/8/2023

(54)

अप्रमुख
1206045509

प्रमुख मोडल

अप्रमुख
2/8/2023

(55)

लोक-सुनवाई की सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिनियम संख्या एच.ओ. 1633, दिनांक 14.09.2006 एवं यथा संशोधित अधिनियमों के अन्तर्गत एवं राज्य पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष निम्नलिखित बालू घाटों का गया जिला में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव विचारार्थ है:-

1. श्री गोपाल कुमार सिंह, पता: मधुरपुर बिचला टोला चार्ज-28 पीओओ + पीओ एस-तेवरा, जिला-बेगूसराय द्वारा गया लीलाजन नदी बालू घाट-12, 13, 14, 15, ग्राम-बेसवा, अमरुत, बरिया, हरदावन, घोराघाट, गोबरदिहा, अंचल-डोभी जिला-गया एवं
2. मेसर्स महारानी सर्विसेज, प्रस्तावक: सवि धाकर सिंह, निवासी-70 अच02, मौलानाधर, घोराघाटी, जिला-गया द्वारा गया ठावर नदी बालू घाट-01, 02, 03, 04, ग्राम-रेडल, गोबिन्दपुर, जामुआवन, केनर पहरपुर, मिर्जापुर, पटोरी, ट्रेलर, अमीन, बरकैल और महगन, अंचल-मुहर, वजीरगंज, मेसकाऊर और फतेहपुर, जिला-गया।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण द्वारा TOR (Terms of Reference) निर्गत की गयी है तथा लोक-सुनवाई की जानी है। परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिसमें संभावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित हैं। चकत् प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति पर्वद मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, गया; कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गया; महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया एवं जिला खनन कार्यालय, गया के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्वद के वेबसाइट <http://bspcb.bihar.gov.in> पर भी किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पर्वद कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्वद के ई-मेल: msbspcb-bih@gov.in पर अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती है।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक-सुनवाई निम्नानुसार आहूत किया गया है:-

क्रमांक	दिनांक	समय	अंचल का नाम	बालू घाट का क्षेत्र	बालू घाट का नाम	लोक-सुनवाई का स्थल
1.	01.08.2023	अपराह्न 02:00 बजे	डोभी जिला-गया	गया जिला अन्तर्गत भेलवा, अमरुत, बरिया, हरदावन, घोराघाट, गोबरदिहा,	गया लीलाजन 12, 13, 14, 15	अंचल कार्यालय, डोभी, जिला-गया
2.	02.08.2023	अपराह्न 02:00 बजे	मुहर, वजीरगंज, मेसकाऊर और फतेहपुर जिला-गया	गया जिला अन्तर्गत रेडल, गोबिन्दपुर, जामुआवन, केनर पहरपुर, मिर्जापुर, पटोरी, ट्रेलर, अमीन, बरकैल और महगन	गया ठावर 01, 02, 03, 04	अंचल कार्यालय, मुहर, जिला-गया

सभी आम लोगो/संबंधित से अनुरोध है कि उपरोक्त लोक-सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 गाईड-लाइन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव/विचार से अवगत करायेंगे।

सदस्य-सचिव



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद

ई-मेल - msbspcb-bih@gov.in, वेबसाइट - <http://bspcb.bihar.gov.in>



फ्रांस में पेरिस एयर शो के दौरान एयरबस से हुआ करार एलान: इंडिगो पांच सौ नए विमान खरीदेगी

पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 15 जून से शुरू हो रहे पेरिस एयर शो के दौरान एयरबस और इंडिगो के बीच एक बड़ा करार हुआ है। इंडिगो एयरलाइंस को 300 नए एयरबस A320neo विमान खरीदने का करार हुआ है। यह करार 2023 से शुरू होकर 2033 तक चलने वाला है। इंडिगो एयरलाइंस को 300 नए एयरबस A320neo विमान खरीदने का करार हुआ है। यह करार 2023 से शुरू होकर 2033 तक चलने वाला है। इंडिगो एयरलाइंस को 300 नए एयरबस A320neo विमान खरीदने का करार हुआ है। यह करार 2023 से शुरू होकर 2033 तक चलने वाला है।

अनचाहे कॉल और मैसेज से मुक्ति का इंटरजार छह माह और बढ़ा

नई दिल्ली, एनडीए/एनआईए के अनुसार, अनचाहे कॉल और मैसेज से मुक्ति के लिए इंटरजार का अवधि 6 माह से बढ़ाकर 12 माह कर दी गई है। यह फैसला नेशनल इंफार्मेशन सिक्योरिटी एजेंसी (निसी) के द्वारा किया गया है। निसी के द्वारा अनचाहे कॉल और मैसेज से मुक्ति के लिए इंटरजार का अवधि 6 माह से बढ़ाकर 12 माह कर दी गई है। यह फैसला नेशनल इंफार्मेशन सिक्योरिटी एजेंसी (निसी) के द्वारा किया गया है।

क्र.सं.	विषय	विवरण
1	अनचाहे कॉल और मैसेज से मुक्ति के लिए इंटरजार का अवधि बढ़ाया गया है।	निसी के द्वारा अनचाहे कॉल और मैसेज से मुक्ति के लिए इंटरजार का अवधि 6 माह से बढ़ाकर 12 माह कर दी गई है।
2	अनचाहे कॉल और मैसेज से मुक्ति के लिए इंटरजार का अवधि बढ़ाया गया है।	निसी के द्वारा अनचाहे कॉल और मैसेज से मुक्ति के लिए इंटरजार का अवधि 6 माह से बढ़ाकर 12 माह कर दी गई है।
3	अनचाहे कॉल और मैसेज से मुक्ति के लिए इंटरजार का अवधि बढ़ाया गया है।	निसी के द्वारा अनचाहे कॉल और मैसेज से मुक्ति के लिए इंटरजार का अवधि 6 माह से बढ़ाकर 12 माह कर दी गई है।

स्वाय एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग खाप, पटना

Sl.No	Roll No.	Merit Serial	Name
1.	147381	219	KUNDAN THAKUR
2.	463412	252	MD. SOHAIB ZAMAN

02. इसायाय पर स्वाम प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है।
विषय: जनकपुर। State.bihar.gov.in/प्रशिक्षण पर जाकर जांच करनी है।
(राज्य) कुमार उपाध्याय
प्रति से पढ़ने का एक ही पत्राचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

लोक-सुनवाई की सूचना

लोक-सुनवाई की सूचना जारी की गई है। यह सूचना लोक-सुनवाई के माध्यम से जनता के सुझावों और समस्याओं को सुनने के लिए है। यह सूचना लोक-सुनवाई के माध्यम से जनता के सुझावों और समस्याओं को सुनने के लिए है। यह सूचना लोक-सुनवाई के माध्यम से जनता के सुझावों और समस्याओं को सुनने के लिए है। यह सूचना लोक-सुनवाई के माध्यम से जनता के सुझावों और समस्याओं को सुनने के लिए है।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की बैठक हुई। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपायों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपायों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपायों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपायों पर चर्चा हुई।

भारत का राजपत्र

भारत का राजपत्र जारी किया गया है। यह राजपत्र भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। यह राजपत्र भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। यह राजपत्र भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। यह राजपत्र भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है।

ई-दोपहिया की बिक्री 76% तक घटी

नई दिल्ली, बिजनेस ब्यूरो। भारत सरकार ने ई-दोपहिया की बिक्री में 76% तक की कमी आई है। यह कमी ई-दोपहिया की बिक्री में 76% तक की कमी आई है। यह कमी ई-दोपहिया की बिक्री में 76% तक की कमी आई है। यह कमी ई-दोपहिया की बिक्री में 76% तक की कमी आई है।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद

क्र.सं.	विषय	विवरण
1	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की बैठक हुई।	बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपायों पर चर्चा हुई।
2	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की बैठक हुई।	बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपायों पर चर्चा हुई।
3	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की बैठक हुई।	बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपायों पर चर्चा हुई।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की बैठक हुई। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपायों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपायों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपायों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपायों पर चर्चा हुई।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की बैठक हुई। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपायों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपायों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपायों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपायों पर चर्चा हुई।